# फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी ओमप्रकाश श्रीकिशन

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 206/2024

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 29.11.2024 | यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ।<br>प्रार्थी की ओर से वकील श्री सुधीर शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबन्द नहीं किया गया तो इस प्रार्थना पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एक पक्षीय सुनवायी का व्यादेश जारी किया जावे। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला अर्जेन्ट प्रकृति का प्रतीत होता है अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये उभय पक्षों को आगामी पेशी दिनांक 12.12.2024 तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख0 न0 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 617/5 स्थित ग्राम जटवाडा प0ह0 जटवाडा तह0 बस्सी जिला जयपुर एवं ख0नं0 484/1, 484/2 484/3, 484/4, 682/1, 682/2, स्थित ग्राम जटवाडा तह0 बस्सी जिला जयपुर के बेचान की यथास्थिति बनाये रखें। इस आदेश की प्रति के साथ इस प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र की प्रति वादपत्र की प्रति एवं सभी दस्तावेजों की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्र के अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी हो। इस आशय का प्रार्थी तीन दिवस में शपथ पत्र पेश करे। पत्रावली पुनः दिनांक 12.12.2024 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर<br>बस्सी जिला जयपुर | |
| | 12/12/24 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/1/25 को पेश हो। | |
| | 21/1/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित प्रार्थी स्वयं भी अनुपस्थित न्यायालय कक्ष से बार-बार आवाजें लगवाई गई परन्तु | |

# फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशे |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ना तो प्रार्थी उपस्थित हुए ना ही प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। | |